संख्या-20/2022/656/तेइस-7-2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(व्यवस्थापन-ग वर्ग),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 16 अगस्त, 2022

विषय:- श्री करूणा शंकर सिन्हा, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0 (वि0/यॉ0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की पत्नी श्रीमती सुनीता सिन्हा की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1608व्यग/07व्यग(11)/2021, दिनांक 15-07-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011, सहपठित प्रथम संशोधन नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्रीमती सुनीता सिन्हा पत्नी श्री करूणा शंकर सिन्हा, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0 (वि0/यॉ0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा अपोलो हास्पिटल, मुम्बई में दिनांक 17.02.2020 से 01.03.2020 तक की अवधि में रहकर करायी गयी चिकित्सा पर दावा की गयी व्यय धनराशि रू0 9,38,934/- (रूपये नौ लाख अड़तीस हजार नौ सौ चौतीस मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 6,99,994/- (रूपये छः लाख निन्यानबे हजार नौ सौ चौरानबे मात्र) की प्रतिपूर्ति श्री करूणा शंकर सिन्हा, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक को किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। प्रश्नगत धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त दावें से संबंधित बिलों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

3- उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय " मद के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त चिकित्सा दावा/इलाज से संबंधित समस्त बिल बाउचर व अन्य संगत अभिलेख मूलरूप में संलग्नकर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-20/2022/656(1)/तेइस–7–2022-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी,बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता(मु0-2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- अधीक्षण अभियन्ता, 17 वॉ(वि0/यां0) वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0(वि0/यां0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- श्री करूणा शंकर सिन्हा, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक पुत्र स्व0 बैजनाथ प्रसाद, निवासी- 4बी,4सी, ठाकुर विहार, फरीदीनगर, लखनऊ।
10- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।